

क्या हमें वास्तव में नदियों को जोड़ने की आवश्यकता है?

साभार: लाइब्रेरी मिट्ट

(20 सितम्बर, 2017)

हिमांशु ठक्कर

(डैम, रिवर एंड पीपल पर दक्षिण एशिया नेटवर्क के समन्वयक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

नदी जोड़ो परियोजना भूमि, जंगलों, जैव विविधता, नदियों और लाखों लोगों की आजीविका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।

नदी जोड़ो परियोजना बहुत ही महांगा प्रस्ताव है। इसमें भूमि, जंगलों, जैव विविधता, नदियों और लाखों लोगों की आजीविका पर भारी प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। यह एक सामाजिक विघटनकारी प्रस्ताव भी है। यह न सिर्फ जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव डालेगा (जंगलों के विनाश का मतलब है कि कार्बन सिंक का विनाश होना और उष्णकटिबंधीय जलवायु में जलाशय मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के ज्ञात स्रोत हैं) बल्कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की हमारी क्षमता को भी कम कर देगा।

उदाहरण के लिए, केन-बेतवा लिंक जो सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाली परियोजना है। इस लिंक से सूखा-प्रवण बुंदेलखण्ड से ऊपरी बेतवा बेसिन में पानी की निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा, जैसा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में बताया गया है। केन-बेतवा लिंक का जल विज्ञान प्रभावी रूप से एक राज्य रहस्य है, इसलिए यह जांचने का कोई तरीका नहीं है कि केन नदी का अतिरिक्त होने का दावा वैध है या नहीं। नहर और नीचे की ओर प्रभावित क्षेत्रों में लिंक के कोई विश्वसनीय पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन नहीं किया गया है और कोई सार्वजनिक सुनवाई नहीं हुई है। लिंक की पर्यावरण प्रबंधन योजना अभी भी तैयार की जा रही है।

केन-बेतवा लिंक पन्ना बाघ के 200 वर्ग किमी के बारे में खतरा है और इसके साथ केन नदी और बुंदेलखण्ड के बड़े हिस्से हैं। फिर भी, इसकी एक पर्यावरण मंजूरी नहीं है, अतिम बन मंजूरी है, और इसकी वन्यजीव मंजूरी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केन्द्रीय-अधिकार समिति द्वारा की जा रही है। वास्तव में, बन और वन्यजीव की दोनों मंजूरी की सिफारिशें इस शर्त के तहत हैं कि बिजली परियोजना को बन / संरक्षित क्षेत्र से निकाला जाएगा, लेकिन पर्यावरण मंजूरी की सिफारिश मानती है कि परियोजना बन / संरक्षित क्षेत्र के अंदर होगी, तो यह भी अमान्य है।

सरकार ने केन-बेतवा लिंक और वास्तव में नदी के बीच एक दूसरे को जोड़ने के लिए परियोजना को सही ठहराया, यह कहकर कि यह सिंचाई, जल आपूर्ति, जल विद्युत और बाढ़ नियंत्रण प्रदान करेगी। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि सिंचाई सहित अधिकांश भारत के जल लाभ भूजल से आते हैं। वास्तव में, पिछले दो से डेढ़ दशकों में, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 1991-92 में बड़े बांधों से शुद्ध राष्ट्रीय सिंचित क्षेत्र में 17.79 मिलियन हेक्टेयर के शिखर से 1.5 मिलियन हेक्टेयर की कमी आई है। लेकिन इसी अवधि में, भारत का कुल सिंचाई क्षेत्र बढ़ गया है— मुख्य रूप से भूजल के कारण। भूजल हमारी पानी की जीवन रेखा है और चाहे हम इसे पसंद करें या न करें, चाहे हम चाहते हैं या नहीं, भूजल आने वाले दशकों तक हमारी जीवन रेखा रहेंगे।

हालांकि, भूजल का हमारा वर्तमान उपयोग टिकाऊ नहीं है हमारे जल संसाधन विकास का फोकस इस बात पर होना चाहिए कि भूजल जीवनरेखा कैसे कायम हो सकती है। क्या नदियों का लिंक इसमें मदद करेगा? नहीं, क्योंकि नदियों के लिंकिंग में बड़ी संख्या में बांध शामिल हैं, जिससे नदियों, जंगलों, झीलों और स्थानीय जल निकायों के विनाश हो सकते हैं, जो बड़े भूजल पुनर्भरण तंत्र हैं।

इसलिए जहां तक सिंचाई का संबंध है, ऐसा लगता है कि नदी के बीच में जोड़कर परियोजना लाभों की तुलना में अधिक समस्या पैदा कर सकता है। वही पानी की आपूर्ति के लिए सच है।

जहां तक पनबिजली का संबंध है, यह स्पष्ट है कि बड़ी पनबिजली परियोजनाएं अब भारत में एक व्यवहार्य विकल्प नहीं हैं। बिजली मंत्री ने बार-बार कहा है कि पिछले दो वर्षों में संसद में 11,000 मेगावॉट से अधिक पनबिजली परियोजनाएं वित्त की कमी और व्यवहार्यता से संबंधित प्रश्नों के कारण फंसे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि निजी डेवलपर्स इस क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वे परियोजनाओं को गैर-व्यवहार्य मानते हैं। सेक्विक्रम और अरुणाचल प्रदेश की स्थिति समान है।

इसका जलमग्न एक मेगावाट का उत्पादन करने के लिए 10 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च होता है, जो बदले में 40 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करता है। इसका अर्थ है कि ऐसी परियोजनाओं से बिजली की प्रति यूनिट लागत 8 रुपये प्रति यूनिट से अधिक है, जब बिजली के लिए कोई खरीदार नहीं होता है, तो लागत 3 रुपये प्रति यूनिट होती है। किसी भी मामले में, नदियों के अंतःकरण के लिए पानी की जरूरत के मुकाबले पानी उठाने के लिए और अधिक बिजली की जरूरत होगी।

क्या बाढ़ प्रवण नदी के बेसिनों में बाढ़-प्रूफ परियोजना को जोड़कर नदी मिल सकती है? सेंद्रियिक रूप से, एक बड़े जलाशय डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में मध्यम बाढ़ की मदद कर सकता है, जमीन पर हमारा अनुभव ज्यादा आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है। उदाहरण के लिए, सरकार के प्रमुख, राज्य अधिकारी और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने कई अवसरों पर बताया है कि बड़े बांध जैसे रंगादी बांध, दामोदर बांध, फरक्का और बंसगर बांध, और हीराकुड़ बांध में बाढ़ से होने वाली बाढ़ की आपदाएं असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में क्रमशः हैं।

नदी को जोड़ने वाली परियोजना के साथ दूसरी समस्या यह है कि पानी की बड़ी मात्रा में भंडारण बड़े जलाशयों के लिए उपयुक्त अधिकांश साइटें नेपाल, भूटान और उत्तर-पूर्व में हैं—और हर एक ने बड़े भंडारण जलाशयों के प्रति अपना विरोध स्पष्ट कर दिया है।

यदि मानसून के दौरान बड़े जलाशयों में पानी को संग्रहित नहीं किया जा सकता है, जो तब होता है जब कुछ नदियों में बाढ़ आती है, तो दूसरा विकल्प इस समय के दौरान घाटे के घाटियों में पानी हस्तांतरित करना है। लेकिन जब ब्रह्मपुत्र बाढ़ में है, तो गंगा और सभी नदियां हैं जिनके माध्यम से सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, पेन्नर और इतने पर भी पानी की जरूरत है। ये नदियां क्यों पहले से बाढ़ का सामना कर रही हैं, इससे ज्यादा पानी मिलेगा?

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर हम मानसून के दौरान पानी को स्टोर कर सकते हैं, तो हम इसे मानसून के महीनों के बाद उपलब्ध कर सकते हैं। लेकिन जल संसाधनों की स्थापना बड़े भंडारों को केवल एक ही भंडारण विकल्प के रूप में देखती है। फिर भी, सबसे बड़ा, सबसे सस्ता, सबसे सौम्य, संभवतः सबसे तेज और सबसे विकेंद्रीकृत भंडारण विकल्प भारत के लिए भूजल जलभूत है।

दूसरे शब्दों में, भारत को क्या जरूरत है, नदियों की एकजुटता नहीं बल्कि पानी, कृषि और आजीविका सुरक्षा हासिल करने के लिए कुछ और।

इससे संबंधित तथ्य

पृष्ठभूमि

- नदियों को आपस में जोड़ने का विचार सबसे पहले वर्ष 1919 में मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य इंजीनियर सर आर्थर कॉटोन ने रखा था। आजाद भारत में सबसे पहले वर्ष 1960 में तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा और सिंचाइ राज्यमंत्री के एल. राव ने गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद नदी जोड़ो अभियान को बल मिला।
- 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 'नेशनल वाटर डेवेलपमेंट एजेंसी' का गठन किया था, वहाँ वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को इस योजना को यथाशीघ्र पूरा करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वर्ष 2003 तक इस योजना की रूपरेखा तैयार हो जानी चाहिये और वर्ष 2016 तक इस योजना को असली जामा पहना देना होगा।
- सुप्रीम कोर्ट के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टॉस्क फोर्स का गठन किया था। टास्क फोर्स द्वारा इस परियोजना पर 560000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया गया था।
- एक बार फिर वर्ष 2012 में इस परियोजना पर चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि यहीं वह समय था जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर समयबद्ध तरीके से अमल करे, ताकि विलंब के कारण इसकी लागत में और अधिक बढ़ोतरी न हो। गौरतलब है कि अदालत ने इस परियोजना पर अमल करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई थी।
- वर्ष 2016 में कुछ पर्यावरणीय मंजूरीयां प्राप्त होने के साथ ही सरकार ने केन-बेतवा लिंक परियोजना पर गम्भीरता से अमल करना शुरू किया। इसके साथ ही एक बार से फिर से देश की सभी नदियों को एक-दूसरे जोड़ने की कवायद शुरू हो गई।

परियोजना से संबंधित समस्याएँ

- नदी जोड़ो परियोजना के संबंध में सरकार ने प्रारंभिक मंजूरी सहित कई मोर्चों पर महत्वपूर्ण प्रगति की है। नदी जोड़ो परियोजना जो दशकों से शुरू होने की बाट जोह रही है, के मामले में विशेषज्ञों की राय हमेशा से विभाजित रही है।
- इस परियोजना के तहत 3,000 से अधिक जल भंडारण संरचनाओं तथा 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी नहरों के नेटवर्क के निर्माण में करीब 5.6 ट्रिलियन रुपए का खर्च आएगा। ये आँकड़े बताते हैं कि नदी-जोड़ो परियोजना अधियांत्रिकी के इतिहास में अब तक का सबसे साहसी कारनामा साबित हो सकता है। जाहिर है कि जब योजना इतनी बड़ी है तो चुनौतियाँ भी बड़ी होंगी।
- नदी जोड़ो परियोजना के आलोचकों का कहना है कि यह परियोजना विसंगतियुक्त जल विज्ञान और जल प्रबंधन की पुरानी समझ पर आधारित है। जिसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आलोचकों के इस विचार के निहितार्थ को समझने के लिये हमें पहले यह जाना होगा कि जल प्रबंधन का वह कौन सा विचार है जिस पर यह परियोजना आधारित है।
- दरअसल, नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों को नहरों के एक नेटवर्क से जोड़ा जाए, ताकि जल अधिशेष वाली नदियों के जल को इन नहरों के नेटवर्क से उन नदियों तक पहुँचा दिया जाए जिनमें जल का स्तर निम्न है।
- मुंबई और चेन्नई में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के शोधकर्ताओं के एक नए अध्ययन ने एक अलग ही तस्वीर पेश की है। वर्ष 1901 से 2004 तक के बीच के 103 वर्षों के अध्ययन से मौसम संबंधी डेटा का विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पहले की तुलना में अब नदियों के जल अधिशेष में 10% से अधिक की कमी आई है।
- जहाँ तक पर्यावरणीय चिंताओं का सवाल है तो यह माना जाना कि नदी जलापूर्ति का एक माध्यम मात्र है चिंतित करने वाला है। दरअसल, नदी एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है और इसमें लाया जाने वाला बदलाव सभी बनस्पतियों और जीवों को प्रभावित करेगा। साथ ही नदियों द्वारा निर्मित उत्तर भारत का विशाल मैदान उपजाऊ बना रहे, इसके लिये नदियों से अत्यधिक छेड़छाड़ को उचित नहीं कहा जा सकता है।
- यही कारण है कि कुछ हद तक पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के बावजूद कन-बेतवा परियोजना, पन्ना टाइगर रिजर्व में संभावित अतिक्रमण को लेकर अटकी पड़ी है।

संभावित प्रश्न

नदी जोड़ो परियोजना एक बड़ी चुनौती है, जिससे भूमि, वन, जैव विविधता, नदियों और लाखों लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस कथन के संदर्भ में नदी जोड़ो परियोजना की व्यवहार्यता का आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिये।